न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 82/2025 | दायर दिनांक 06.02.2025 | निर्णय दिनांक 25-03-2025

1. भैरू लाल पुत्र श्री रूप लाल जाट जाति जाट (बास्ट) आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

–– प्रार्थी

बनाम

1. मथरा पुत्र श्री परसा रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. केली पुत्री प्रताप रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. काली पत्नी श्री बरदा रेगर आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. नन्दू पुत्री बरदा रेगर आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. प्रेमचन्द पुत्र श्री बरदा रेगर आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. पिन्टू रेगर दत्तक पुत्र चुना रेगर आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. मानी पुत्री प्रताप रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. रोशनी पुत्री बरदा रेगर आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. बाली पत्नी श्री तुलछा रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. नाराण पुत्र श्री देबी रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. बरदा पुत्र श्री प्रताप रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. बाली पत्नी श्री तुलछा रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
13. महादेव पुत्र श्री देबी रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

14. रामू पत्नी स्व० श्री किशना रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. लादी पुत्री देबी रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
16. सायरी पुत्री देबी रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
17. काली पत्नी श्री देबी रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
18. चतरा पुत्र श्री रामा रेगर आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
19. जमना लाल पुत्र श्री किशना रेगर आयु वयस्क निवासी– कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)भीलवाडा
20. श्रयणी 20. नन्चा पुत्र श्री देबी रेगर आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
21. बालू पुत्र श्री केला बलाई आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
22. शंकरी पत्नी श्री मोहन सैन आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
23. रामेश्वर लाल पुत्र श्री बालू सुधार आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
24. भैरू पुत्र श्री मथरा जाट आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
25. भूरी पत्नी श्री मथरा श्री मथरा जाट आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
26. गणेश पुत्र श्री ज्वारा जाट आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलंदार, भीलवाड़ा (राज०)भीलवाड़ा

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री मोहन लाल कुमावत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 26 उपस्थित नहीं।

:- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कांदा पटवार हल्का कांदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला–भीलवाड़ा की सरहद मे प्रार्थी की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण आराजी संख्या 1184,रकबा 0.9484 हेक्टर,आराजी नम्बर 1188/1 रकबा 0.7461 हेक्टर आराजी नम्बर 685/1 रकबा 0.8472 भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 26 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम कांदा पटवार हल्का कांदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला–भीलवाड़ा की सरहद मे प्रार्थी की कृषि आराजिया स्थित है जिसका विवरण आराजी संख्या 1184 रकबा 0.9484 हेक्टर,आराजी नम्बर 1188/1 रकबा 0.7461 हेक्टर आराजी नम्बर 685/1 रकबा 0.8472 है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा